UPJS220000062007

Presented on : 24-10-2007
Registered on : 24-10-2007
Decided on : 10-06-2026

Duration : 18 years, 7 months, 17 days

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), मोंठ, झांसी।

फौ0 वाद सं0 –1708/2007
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3567
उपस्थितः– शुभम चौधरी (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

सरकार **बनाम** **नत्थू उर्फ नाथूराम**

अ0 संख्या –सी3/2007
धारा–494,495 भा0दं0सं0
थाना – समथर,
जिला – झांसी।

निर्णय

1. प्रस्तुत फौ0 वाद, वादी मुकदमा बटई द्वारा अभियुक्तगण नत्थू उर्फ नाथूराम, श्रीमती सम्पत एवं मनीराम के विरुद्ध दी गई तहरीर के आधार पर थाना पुलिस समथर, द्वारा अ0 संख्या सी3/2007 धारा 494,495 भा0दं0सं0 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित हुआ।

घटनाओं की सूची

तारीख	महत्वपूर्ण घटना
13.03.2007	शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अरोपीगण के विरूद्ध दी गयी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) भा0दं0सं0 के अन्तर्गत शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
16.04.2007	को आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।
16.09.2011	अभियुक्तगण नत्थू उर्फ नाथूराम, श्रीमती सम्पत एवं मनीराम के विरुद्ध धारा 494, 495 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये।
13.03.2026	अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी की शादी आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व कस्बा रानीपुर के मुहल्ला सिंदरा थाना मऊरानीपुर जिला झांसी निवासनी कुमारी सम्पत पुत्री नत्थू कुशवाहा के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुयी थी। प्रार्थी व उसकी पत्नी श्रीमती सम्पत व कायदा हक जोजियत अदा बराबर तीन वर्ष से करते रहे मेरी व सम्पत के संसर्ग से एक बच्ची पैदा हुयी जो जीवित है। यह कि लागभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 20.02.2006 को सम्पत का भाई गोविन्ददास मुझ प्रार्थी के ग्राम साकिन आया और मुझ प्रार्थी से बोला कि मेरे भाई की शादी है, सम्पत को लिवाने आया हूँ। प्रार्थी ने सम्पत को लिवा ले जाने की स्वीकृति दी तो प्रार्थी की पत्नी का भाई गोविन्ददास जो रिश्ते में मेरा साला लगता है, मुझ प्रार्थी से बोला कि विवाह में चढ़ाने के लिये जेवर नहीं है, कुछ जेवर दे दो तो मुझ प्रार्थी ने अपना जेवरात ढाई भर सोने का हार, साढ़े चार भर सोने का दूसरा हार, एक भर सोने का मंगल सूत्र, सात आना भर सोने का नथ, छः आना भर सोने की बंदी, एक बिछुआ 22 भर, चॉदी का एक जोड़ी पायल 23 भर, चॉदी की गवाहान प्रभूदयाल व रामसिंह के समय गोविन्ददास को दिये। गोविन्दास ने मुझ प्रार्थी को अश्वासन दिया कि जेवरात मैं बतौर अमानत ले जा रहा हूँ। भाई की शादी होने के पश्चात् वापिस कर दूँगा। शादी के पश्चात् में प्रार्थी अपनी पत्नी सम्पत को लेने गया तो भाई गोविन्दास व उसके माता पिता व परिवारीजन ने मुझ प्रार्थी की पत्नी सम्पत को नहीं भेजा और जब मुझ प्रार्थी ने अमानत दिया हुआ अपना जेवरात गोविन्दास से मांगा तो गोविन्दास व उसके माता पिता व सम्पत ने मुझ प्रार्थी से कहा कि बहू जेवरात पहिन कर मायके चली गयी, दूसरी विदा में आने पर मैं तुम्हारा जेवरात वापिस कर दूँगा। प्रार्थी विगत 2,3 माह बाद पुनः अपनी ससुराल में अपनी पत्नी व जेवरात को लेने गया तो भी उक्त गोविन्दास व उसके परिवारजन ने मेरी पत्नी सम्पत को नहीं भेजा और न ही मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित जेवरात वापिस किया। मैं प्रार्थी अपनी पत्नी व उसके भाई व परिवार वालों को चाल को नहीं समझ सका। मैं प्रार्थी व मेरे रिश्तेदार विगत एक वर्ष के अंदर कई बार सम्पत को लिवाने गया तो न ही मेरी पत्नी को भेजा और न ही मेरे अमानत दिया गया। जेवरात वापिस किया। मुझ प्रार्थी की पत्नी व उसके भाई गोविन्दास ससुर नत्थू सास जनका व उसके परिवारजन ने षड़यंत्र व साजिश रचकर मुझ प्रार्थी द्वारा दिया गया जेवरात हड़प कर लिया। अमानत में खयानत की जो एक आपराधिक नियास भंग है। प्रार्थी ने काफी प्रयास अपनी पत्नी सम्पत को अपने घर लिवा जाने का किया, परन्तु प्रार्थी की पत्नी सम्पत नहीं आयी और वह अपने परिवारजन के बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी के जीवन काल के दौरान सम्पत ने मनीराम पुत्र जगन से विवाह उत्पन्न कर लिया, इस विवाह को करने में नत्थू पुत्र रामप्रसाद, श्रीमती जनका पत्नी नत्थू, बल्लू तनय रामप्रसाद, श्रीमती बम्हौरौली वाली पत्नी बल्लू निवासीगण कस्बा रानीपुर मुहल्ला सिंदरा थाना मऊरानीपुर जिला झांसी व मनीराम पुत्र जगन, जगन पुत्र परमोले, हरप्रसाद पुत्र जगन, श्रीमती भदरवारावाली पत्नी

हरप्रसाद, प्रेमचन्द्र तनय जगन का पूर्ण सहयोग रहा। उक्त सभी लोगों को यह जानकारी थी कि श्रीमती सम्पत मुझ प्रार्थी की विवाहिता पत्नी है तथा श्रीमती सम्पत को यह पूर्ण ज्ञान था कि मेरा पति जीवित है, फिर भी मुझ प्रार्थी से बिना तलाक सम्पत ने उपरोक्त लोगों के बहकावे में आकर ग्राम बोड़ा निवासी मनीराम पुत्र जगन से दूसरी शादी कर ली, उपरोक्त लोगों द्वारा उक्त शादी एक सोची समझी साजिश के तहत षड़यंत्र रचकर जेवर हड़पने की नियत से की गयी, उपरोक्त लोग उक्त शादी में शरीक भी हुये। श्रीमती सम्पत की शादी बसंत पंचमी के दिन सन् 2007 को मनीराम के साथ सम्पन्न करायी गयी। मुझ प्रार्थी को जानकारी हुयी तो मैं प्रार्थी पुनः अपनी पत्नी सम्पत को लिवाने 25.02.2007 को रानीपुर गया तो उसके माता पिता व भाईयों व रिश्तेदारों ने यह कह कर वापिस कर दिया कि सम्पत अभी रिश्तेदारी में गयी है और मुझ प्रार्थी ने अपना जेवरात मांगा तो नहीं दिया और कहने लगे कि तुम्हारा कोई जेवरात नहीं देना है और न ही श्रीमती सम्पत को तुम्हारे घर भेजना है। मैं प्रार्थी घर आने के लिये बस स्टैण्ड की ओर आ रहा था तो मुझ प्रार्थी ने मोहन पुत्र बिजई के मकान में अपनी पत्नी को देखा जो मनीराम का बहनोई है। मैंने मुहल्ला वासियों से जानकारी की तो उन्होने बताया कि ये सम्पत नाम की लड़की जिसका मायका रानीपुर में ही है, मनीराम पुत्र जगन निवासी ग्राम बोड़ी की पत्नी है, मनीराम ने दूसरी शादी कर ली है। वर्तमान में यह लड़की छिपी हुयी है, क्योंकि इसने अपने पहले पति के जीवित होते हुये दूसरी शादी की है। तब मुझ प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उपरोक्त लोगों ने मुझ प्रार्थी का दिया हुआ अमानत जेवरात हजम कर लिया और मेरी पत्नी सम्पत की दूसरी शादी भी कर दी है। यह कि मुझ प्रार्थी ने तुरन्त घटना की सूचना पुलिस चौकी रानीपुर को दी तो पुलिस रानीपुर ने मुझसे कहा कि थाना समथर का मामला है, थाना समथर में रिपोर्ट लिखाओं तो प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना समथर गया तो वहॉ पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब मुझ प्रार्थी ने दिनांक 26.02.2007 को जरिये रजिस्टर्ड डाक एस.एस.पी. झांसी व पुलिस थाना समथर को रिपोर्ट प्रेषित की, इसके बावजूद भी मुझ प्रार्थी की रिपोर्ट आज तक थाना समथर में दर्ज नहीं की गयी। वादी द्वारा न्यायालय के समझ दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसके पश्चात् थाना पुलिस समथर द्वारा अ0 संख्या सी3/2007 अन्तर्गत धारा 494,495 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। गवाहान वादिनी मुकदमा, साक्षीगण एवं अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दर्ज किये गये। दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 494,495 भा0दं0सं0, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर, अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा जमानतें करायी गयी तथा उन्हें धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में आवश्यक पुलिस दस्तावेजों की नकलें प्रदान की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 494,495 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

5. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने लिये साक्षी पी.डबलू. 1 व पी.डबलू. 2 को परीक्षित कराया। अभियोजन की ओर से इस साक्षी के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन के औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 13.03.2026 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, साक्षी द्वारा झूठे बयान देना, मुकदमा रंजिशन चलाया जाना बताया तथा सफाई साक्ष्य, अपने पक्ष में कोई गवाह पेश करने व कुछ और कहने से इन्कार किया।

7. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत बहस को सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

8. आपराधिक एवं साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर देता है। प्रस्तुत मामले में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने वादी की पत्नी की दूसरी शादी कराने की घटना को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

9. अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभियोग, अभियुक्तगण ने वादी की पत्नी की दूसरी शादी कराने के संबंध में पंजीकृत कराया गया है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डबलू.1 बटई कुशवाहा** द्वारा दिनांक 31.10.2025 को मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग 22–23 वर्ष पूर्व मेरी शादी सम्पत पुत्री नत्थू कुशवाहा के साथ हुई थी, परन्तु शादी के कुछ समय बाद से ही मेरी पत्नी से मेरा कुछ विवाद रहने लगा, जिसके कारण समाज के लोगों ने मिल बैठ कर आपस में सुलह समझौता करवा दिया था और हम लोगों की छोड़ छुड़ौती हो गयी थी। हम लोगों ने एक दूसरे से अलग रहने का फेसला कर लिया था। हम दोनों नई जगह पर शादी करने के लिये स्वतंत्र हो गये थे। कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने आकर मुझे भड़का दिया कि तुम्हारी पूर्व पत्नी ने कही पर शादी कर ली है, फिर मैंने न्यायालय में आकर अपनी पत्नी व उसके मायके वालों व

अन्य रिश्तेदारों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दे दिया था। वास्तव में मुझे आज तक इस बात की नहीं जानकारी है कि मेरे पूर्व पत्नी सम्पत मुझसे संबंध विच्छेद होने के बाद कहा रह रही है। उसके द्वारा शादी की या नहीं की। वह मेरे घर से कोई जेवर या कपड़े लेकर नहीं गयी थी। उसका कोई रिस्तेदार मुझसे सोने–चॉदी के जेवर मांगकर नहीं ले गया। दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे।

इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने किसी दरोगा को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया था, इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिमान से अदालत के बाहर मेरा समझौता हो चुका है, लेकिन यह कहना गलत है कि मैं इसी समझौते के कारण सही बात नहीं बता रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मैं रिश्तेदारों या बिरादरी के दबाव में आज सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि वर्ष 2007 में बसन्त पंचमी के दिन कस्बा सिकन्दरा में मेरी पूर्व पत्नी सम्पत की शादी मनीराम के साथ नहीं हुई और न ही इसमें नत्थू उर्फ नाथूराम ने ऐसी कोई शादी सम्पन्न करवायी। मेरा वर्ष 2007 के पूर्व मेरी पूर्व पत्नी सम्पत से समाज की रीति रिवाज के अनुसार विवाह विच्छेद हो चुका था। लोगों के कहने पर आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, इस कारण मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूॅ और सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

साक्षी पी.डबलू. 1 ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित करने से इंकार किया है।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डबलू.1 रामस्वरूप** द्वारा दिनांक 31.10.2025 को मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे पुत्र बटई कुशवाहा की शादी आज से लगभग 22–23 वर्ष पूर्व सम्पत पुत्री नत्थू कुशवाहा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही मेरे बेटे व बहू के बीच विवाद रहने लगा, जिसके कारण समाज के लोगों ने मिल बैठकर मेरे बेटे व बहू के बीच सम्बंध विच्छेद करवा दिया था। मेरे बेटे व बहू नई जगह पर शादी के लिये स्वतंत्र हो गये थे। मेरे बेटे को कुछ लोगों ने भड़का दिया था कि तुम्हारी पूर्व पत्नी ने कही और शादी कर ली है, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया था। मेरे बेटे की पूर्व

पत्नी सम्पत इस समय कहा रह रही है, मैं नहीं बता सकता। उसने शादी की यह भी नहीं बता सकता। वह मेरे घर से कोई जेवर व कपड़े लेकर नहीं गयी थी व उसका कोई भी रिश्तेदार मुझसे या मेरे बेटे से सोने या चॉदी का जेवर मांग कर नहीं ले गया था। दरोगा जी ने मेरा कोइ बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोसित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को इस साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने किसी दरोगा को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया था, इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेरे बेटे का मुल्जिमान से समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि इस समझौते के कारण मैं सही बात नहीं बता रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मैं रिश्तेदारों के दबाव में सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बताया कि वर्ष 2007 में बसन्त पंचमी के दिन कस्बा सिकन्दरा में मेरी पूर्व पत्नी सम्पत की शादी मनीराम के साथ नहीं हुई और न ही इसमें नत्थू उर्फ नाथूराम ने ऐसी कोई शादी सम्पन्न करवायी। मेरे बेटे बटई कुशवाहा का उसकी पूर्व पत्नी सम्पत से समाज की रीति रिवाज के अनुसार से वर्ष 2007 के पूर्व ही विवाह विच्छेद हो चुका था। लोगों के भड़काने से मेरे बेटे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूॅ और सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

12. पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि साक्षी **पी.डबलू. 1 वादी मुकदमा व पी.डबलू. 2** अपने मुख्य पृच्छा के कथनो में ही अभियोजन पक्ष का सर्मथन नहीं किया है तथा जिरह में अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित करने से इंकार किया है। ऐसी स्थिती में उपरोक्त साक्षी का साक्ष्य अभियोजन केस को साबित करने हेतु निस्प्रयोज्य हो जाता है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पुलिस के प्रलेखीय साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.डबलू.1 व पी.डब्लू.2 मुख्यपरीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा कोई घ टना कारित करने से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा इन साक्षीगण के अतिरिक्त किसी अन्य गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। मात्र पुलिस प्रलेखीय साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य, जो किसी साक्षी द्वारा समर्थित न हों, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों

को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लेने मात्र से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, संदेह का लाभ पाते हुये अभियुक्तगण **नत्थू उर्फ नाथूराम, श्रीमती सम्पत एवं मनीराम** को अन्तर्गत धारा **494,495 भा0दं0सं0** के अपराध से दोष मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **नत्थू उर्फ नाथूराम, श्रीमती सम्पत एवं मनीराम** को अन्तर्गत धारा **494,495 भा0दं0सं0, फौ0 वाद संख्या 1708/2007** अ0 संख्या **सी3/2007** थाना **समथर**, जिला झांसी के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मुबलिक 20–20 हजार रुपये के निजी बंध पत्र व इसी धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल की जा चुकी हैं, जो छः माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनांकः–10.06.2026

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी

आज यह निर्णय एवं आदेश, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–10.06.2026

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी।

अभिषेक कुमार यादव
आशुलिपिक